तीन वर्षों के ऋण-स्थगन के बाद चार किस्तों में करनी होती है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान गन्ने का विकास करने के लिए जिन चीनी मिलों को ऋण दिए गए थे उनके मामले में मूल राशि की वापसी देय नहीं हुई है।

(च) और (छ) 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के दौरान गन्ने की औसत पैदावार निम्नानुसार रही है :—

वर्ष	पैदावार (मीटरी टन/हेक्टेयर)
1990-91	65.40
1991-92	66.07
1992-93	63.81

इससे विदित होगा कि 1990-91 की तुलना में 1992-93 के दौरान कम पैदावार हुई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पैदावार मौसमी स्थितियों पर निर्भर करती हैं जोकि प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त, गन्ने का विकास करने से संबंधित योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से सहायता गन्ने के अधीन क्षेत्र के केवल एक हिस्से को ही कवर करती है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की बिक्री

1617. **श्री राम जेठ मलानी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने खुले बाजार में गेहूं को बेचने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1994 के अंत तक खुले बाजार में कुल कितनी मात्रा में गेहूं बेचे जाने का विचार है;

(ग) देश के विभिन्न राज्यों में इस गेहूं को किस-किस दर पर बेचे जाने का विचार है;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम और अन्य विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा इस गेहूं को 330 रुपये प्रति क्विंटल की अधिकतम दर पर खरीदा गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो यह गेहूं किसानों से किस दर पर खरीदा गया था;

(च) क्या यह भी सच है कि इस गेहूं को खुले बाजार में बेचने से भारतीय खाद्य निगम को इस सौदे से काफी आर्थिक लाभ होने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो लक्ष्यानुसार बिक्री होने के आधार पर कितना लाभ होने की संभावना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) 16-2-1994 तक 2 मिलियन मीटरी टन से भी अधिक गेहूं की बिक्री कर ली गई है। चूंकि इस प्रकार की बिक्री खुले बाजार में की जाती है, इसलिए फिलहाल यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि 31-3-1994 तक कितनी मात्रा की बिक्री कर ली जाएगी। भारतीय खाद्य निगम को 30-4-1994 तक 3 मिलियन मीटरी टन तक गेहूं बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें खुली बिक्री के लिए गेहूं के राज्यवार, मासवार मूल्य दिए गए हैं (**नीचे देखिए**)।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारों/उनकी एजेंसियों ने रबी विपणन मौसम, 1993-94 के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 330 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन

मूल्य पर गेहूं की वसूली की थी । मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने पिछले रबी विपणन मौसम के दौरान 330 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 25 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान किया था ।

(च) और (छ) जी, नहीं । यद्यपि खुले बाजार में बिक्री करने की योजना के अधीन गेहूं के मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम मूल्यों से अधिक होते हैं लेकिन ये मूल्य भारतीय खाद्य निगम की इकनामिक लागत से कम होते हैं । अतः निगम ने खुले बाजार में गेहूं बेचकर कोई लाभ नहीं कमाया है । खुले बाजार में बिक्री करने की योजना के अधीन अप्रैल, 1994 तक अनुमानतः 30 लाख मीटरी टन गेहूं की बिक्री करने के फलस्वरूप आशा है कि भारतीय खाद्य निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन निर्गम मूल्यों की तुलना में 173 करोड़ रुपये की बचत होगी ।

विवरण

नवम्बर, दिसम्बर 1993, जनवरी और फरवरी, 1994 के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए गेहूं की खुली बिक्री के लिए निर्धारित किए गए मूल्य

राज्य का नाम	नवम्बर, 1993	दिसम्बर, 93 और फरवरी, 94	फरवरी, 94
पंजाब/हरियाणा/उत्तर प्रदेश	3850	3850	4100
दिल्ली	4050	4050	4250
राजस्थान	4000	3950	4150
जम्मू और कश्मीर	4000	4000	4200
हिमाचल प्रदेश	4000	4000	4200
महाराष्ट्र	4450	4400	4650
गुजरात	4300	4250	4450
मध्य प्रदेश	4100	4000	4200
पश्चिम बंगाल और उड़ीसा	4400	4250	4400
बिहार	4300	4190	4350
तमिलनाडु	4500	4500	4750
आंध्र प्रदेश	4450	4450	4700
कर्नाटक	4550	4550	4750
केरल	4600	4600	4800